फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु.नं. 63/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.07.2019		

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थीया आशादेवी पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी कारंगा बड़ा द्वारा केम्प कोर्ट सालासर में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम ग्राम खुड़ी की जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता खंख्या 16 में प्रार्थीया का नाम आसीदेवी पत्नी नेमीचन्द हिस्सा पूर्व जाति जाट निवासी कारंगा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल आबाद खुड़ी दर्ज है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम आशादेवी है। अतः मेरा नाम आशा देवी करने का आदेश फरमाये

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का खुड़ी, भु अभिलेख नि. खुड़ी वह उप तहसीलदार सालासर ने प्रार्थीया का नाम आसी देवी के स्थान पर आशादेवी . दुरूस्त करने कि अनुशंषा की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक खुड़ी की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में पुराना खाता संख्या 14 नया खाता संख्या 16 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	खुड़ी	**556** **756/526**	**आसीदेवी पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी कारंगा बड़ा**	**आशादेवी पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी कारंगा बड़ा**

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ व शाखा प्रंबधक एस बी आई सालासर को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में भुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट सालासर में सुनाया गया।

23.7.19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ